भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2107

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

पशुचारे की महंगाई दर

2107. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या थोक मूल्य सूचकांक आधारित पशु चारे की महंगाई दर अगस्त, 2022 में बढ़कर नौ वर्षों के उच्चतम स्तर 25.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है और यदि हां, तो क्या इससे ग्रामीण परिवारों, जिनकी आजीविका पशुधन पर निर्भर है को कठिनाई का सामना करना पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने चारे की वर्तमान उपलब्धता और कमी तथा डेयरी उत्पाद पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चारे की कमी को दूर करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के अंतर्गत चारा केंद्रों के गठन और संवर्धन का विचार है और यदि हां, तो प्रस्तावित एफपीओ से चारे की कमी की समस्या का समाधान किस प्रकार होगा;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है और लक्ष्य भी निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोतम रूपाला)

(क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) डेटा दर्शाता है कि नवंबर 2022 में चारे का सूचकांक मूल्य 225.7 दर्ज किया गया था, जो गत वर्ष के इसी महीने (176.8) की तुलना में 27.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार, जिन ग्रामीण परिवारों की आजीविका पशुधन पर निर्भर है, उनके लिए कोई गंभीर कठिनाई राज्यों द्वारा सूचित नहीं की गई, हालांकि चारे की कीमत में वृद्धि हुई थी।

(ख) भाकृअनुप-भारतीयचरागाहऔरचाराअनुसंधानसंस्थान (आईजीएफआरआई), झांसीनेअनुमानलगायाहैकिराष्ट्रीयस्तरपरहरेचारे, सूखेचारेऔरकंसंट्रेट्समेंक्रमश: 11.24%, 23.4% और 28.9% कीकमीहै।चारे की कमी, यदि कोई हो, और डेयरी उत्पादों पर इसके प्रभाव के आकलन के लिए मुख्य रूप सेराज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इसलिए केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान डेयरी उत्पाद पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए केंद्र को किसी भी राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मुख्य रूप से चारा केंद्रित और सहायक रूप में पशुपालन कार्यकलापोंके लिए 100 एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन की योजना के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।ये चारा प्लस एफपीओ चारा विकास संबंधी कार्यकलाप करेंगे जैसे हरा चारा/साइलेज उत्पादन और बिक्री, 'रेडी-टू-ईट' टीएमआर का उत्पादन, फसल अवशेषोंको सुरक्षित करनेतथा इसकी बिक्री और पशुपालन संबंधी अन्य कार्यकलाप भी करेंगे,जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बाजार पहुंच उपलब्ध हो सके। डेयरी सहकारी समितियों और अन्य एजेंसियों की क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के रूप में पहचान की जाएगी जो एफपीओ के उत्पाद के लिए फार्वड लिंकेज की सुविधा प्रदान करेंगे और एफपीओ

को स्थायी तरीके से सहायता करेंगे। एनडीडीबी ने क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) के रूप में दुग्ध संघों/परिसंघों/दुग्धउत्पादक संगठनों/सरकारी एजेंसियों आदि की पहचान के लिए पहले ही हितधारकों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। अभी तक 34 संगठनों ने 62 एफपीओ के गठन के लिए आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनका आकलन किया जा रहा है।

(ड़)पशुपालन राज्य का विषय है; किसानों को सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' और 'पशुपालन अवसंरचना विकास निधि' को लागू करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है, जिससे उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

****